مؤسسة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين الخيرية
رحمه الله تعالى

मासिक धर्म और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के प्रावधानों के बारे में साठ प्रश्न

लेखक महान विद्वान शेख
मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन
अल्लाह तआला उनकी तथा उनके माता-पिता और समस्त मुसलमानों की मग़्फ़िरत फ़रमाये

شركاء التنفيذ
جمعية
خدمة المحتوى الإسلامي
باللغات

मासिक धर्म और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के प्रावधानों के बारे में साठ प्रश्न

मासिक धर्म और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के प्रावधानों के बारे में साठ प्रश्न

*

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा दयालु अति कृपावान है।

प्रस्तुति

सभी प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, एवं दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर, तथा आपके परिवार-परिजन और सहाबा पर तथा उन लोगों पर, जो न्याय के दिन तक उनके मार्ग का अनुसरण करें, तत्पश्चात:

मेरी मुस्लिम बहनों!

इबादतों में मासिक धर्म के प्रावधानों के बारे में विद्वानों से पूछे जाने वाले सवालों की अधिकता को देखते हुए हमने उचित समझा कि संक्षिप्त में उन प्रश्नों को एकत्र कर दिया जाए, जो हमेशा दोहराए जाते हैं तथा प्रायः विस्तार के बिना होते हैं।

मेरी मुस्लिम बहनों!

हमने इसे इकट्ठा करना चाहा ताकि यह हमेशा आपकी पहुँच में रहे। और यह अल्लाह के विधान (शरीअत) में विधिशास्त्र (फ़िक़्ह) के महत्व के कारण है, ताकि आप ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ अल्लाह की इबादत करें।

चेतावनी: पहली बार इस पुस्तक को पढ़ने पर ऐसा लग सकता है कि कुछ प्रश्न बार बार आए हैं, परन्तु सोच विचार के बाद स्पष्ट होगा कि दुसरे उत्तर में पहले उत्तर की तुलना में अधिक ज्ञान है,अतः हम ने इस तरह के प्रश्नों की अनदेखी करना उचित नहीं समझा।

और दरूद व सलाम अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद तथा आपके समस्त परिवार-परिजन और सब साथियों पर।

*

नमाज़ व रोज़ा के संदर्भ में मासिक धर्म के अहकाम

प्रश्न 1: यदि कोई महिला फ़ज्र के तुरंत बाद (मासिक धर्म से) पवित्र हो जाती है, तो क्या उसे इस दिन (खाने-पीने से) परहेज़ करना और रोज़ा रखना चाहिए? और उसका यह दिन रोज़ा में गिना जाएगा, या उसपर इसकी क़ज़ा (दूसरे दिन उसे पूरा) करना ज़रूरी है? उत्तर 1: यदि कोई महिला फ़ज्र के तुरंत बाद पवित्र हो जाती है, तो उसके उस दिन रोज़ा रखने के संबंध में विद्वानों के बीच दो तरह के मत हैं:

पहला मत: उसके लिए उस दिन के शेष हिस्से का रोज़ा रखना ज़रूरी है, परन्तु यह गिनती में नहीं आएगा, उसकी क़ज़ा करना अनिवार्य है। यह इमाम अहमद -उनपर अल्लाह की दया हो- के मज़हब (पंथ) की प्रसिद्ध राय है।

दूसरा मत: उस दिन का रोज़ा रखना उसके लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि वह ऐसा दिन है जिस दिन उसके लिए रोज़ा रखना उचित नहीं है। क्योंकि दिन के आरंभ में वह माहवारी की स्थिति में थी और रोज़ा से नहीं थी। तथा जब रोज़ा ही सही नहीं तो शेष दिन का रोज़ा रखने का भी कोई लाभ नहीं। यह समय उसके लिए आदर्श समय नहीं है, क्योंकि दिन के शुरू में उसे रोज़ा न रखने का आदेश था, बल्कि उस समय उसके लिए रोज़ा रखना वर्जित था। और सही एवं शरई रोज़ा: फ़ज्र के प्रकट होने से सूर्यास्त तक अल्लाह की इबादत के लिए रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुके रहने का नाम है।

यह मत -जैसा कि आप देख रहे हैं-, बेहतर मत है, परन्तु दोनों मतों के अनुसार उस दिन की क़ज़ा करना अनिवार्य है।

प्रश्न 2: जब रजस्वला स्त्री पाक हो जाये, एवं फ़ज्र की नमाज़ के बाद नहा ले, नमाज़ पढ़ ले और उस दिन का रोज़ा भी मुकम्मल कर ले, तो क्या उस दिन की क़ज़ा वाजिब है? उत्तर 2: यदि रजस्वला स्त्री फज्र का समय होने से पहले पाक हो जाये, यद्यपि एक मिनट पहले ही क्यों न हो, एवं उसे अपने पाक होने का विश्वास हो, और रमज़ान चल रहा हो, तो उसपर रोज़ा वाजिब है, और उस दिन का रोज़ा रखना उसके लिए सही है, तथा क़ज़ा भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि उसने उस अवस्था में रोज़ा रखा जब वह पाक थी, यद्यपि उस ने फ़ज्र की नमाज़ के बाद नहाया। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे कोई व्यक्ति संभोग या स्वप्न देखने के कारण नापाक हो, और सेहरी खा ले, और फ़ज्र का समय होने के बाद स्नान करे, तो उसका रोज़ा सही होगा। मैं इस मौके पर

महिलाओं के संबंध में एक और बात बताना चाहूँगा, जब उन्हें मासिक आ जाए और उस दिन का वो रोज़ा रखे हुई हों, तो कुछ महिला यह समझती हैं कि यदि उन्हें इफ़्तार (रोज़ा तोड़ने) के बाद एवं इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले मासिक आ जाए तो उस दिन का रोज़ा ख़राब हो जाता है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, यदि मासिक सूर्यास्त के बाद आए, यद्यपि क्षण भर के बाद ही सही, तो उनका रोज़ा सही एवं मुकम्मल होगा। प्रश्न 3: यदि प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं चालीस दिन से पहले पवित्र हो जाएं, तो क्या उनपर रोज़ा रखना एवं नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है? उत्तर 3: हाँ, यदि प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं चालीस दिन से पहले पवित्र हो जाएं, तो उनपर रोज़ा रखना अनिवार्य है, यदि रमज़ान का महीना चल रहा हो, एवं नमाज़ पढ़ना भी अनिवार्य है। इसी प्रकार उसके पति के लिए उसके साथ संभोग करना भी जायज़ है, इसलिए कि वह पाक है, और रोज़ा, नमाज़ एवं संभोग से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं पाई जा रही है। प्रश्न 4: यदि किसी महिला की मासिक आने की अवधि आम तौर पर आठ या सात दिनों की हो, फिर एक या दो बार उसकी अवधि इस से अधिक हो जाए, तो उसका क्या आदेश है? उत्तर 4: यदि किसी महिला को सामान्य तौर पर छह या सात दिन मासिक आता है, फिर यह अवधि लंबी खिंच जाए, और आठ या नौ या दस या ग्यारह दिन हो जाए, तो वह नापाक ही रहेगी, पाक होने तक नमाज़ नहीं पढ़ेगी। वह इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मासिक धर्म की कोई मुद्दत निर्धारित नहीं की है। और अल्लाह तआला ने कहा है: (वे लोग आपसे मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि वह मलीनता है)।[सूरा अल-बक़रा: 222] जब तक यह ख़ून बाक़ी रहेगा, तब तक महिला उसी अवस्था में रहेगी, यहां तक कि पाक हो जाए, फिर स्नान करेगी और नमाज़ पढ़ेगी। दूसरे महीने यदि इस से कम दिन मासिक आए, तो जब वह पाक हो जाए तो स्नान करेगी, यद्यपि यह पिछली अवधि से कम ही क्यों न हो।

महत्वपूर्ण यह है कि जब तक महिला मासिक की अवस्था में रहेगी, नमाज़ नहीं पढ़ेगी। इस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह मासिक सामान्य हो, या अधिक या कम दिन हो। जब वह पाक हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ेगी।

प्रश्न 5: क्या प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं चालीस दिन तक बिना नमाज़ व रोज़ा के बैठी रहेंगी, अथवा रक्त बंद होने का एतबार किया जायेगा, कि जब वह बंद हो जाये तो महिला पाक मानी जायेगी और नमाज़ पढ़ेगी? तथा पाक होने की न्यूनतम

अवधि क्या है? उत्तर 5: प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाओं के लिए कोई तय सीमा नहीं है, बल्कि जब तक ख़ून रिसना बंद नहीं होगा वे प्रतीक्षा करेंगी, न नमाज़ पढ़ेंगी न रोज़ा रखेंगी और न ही उसका पति उससे संभोग करेगा।

जब वह पाकी देख लेगी, -यद्यपि यह चालीस दिन से पहले ही क्यों न हो, चाहे दस दिन में या पंद्रह दिन में-, तो वह नमाज़ पढ़ेगी, रोज़ा रखेगी, उसका पति उससे संभोग भी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।

महत्वपूर्ण यह है कि निफ़ास (प्रसवोत्तर रक्तस्राव) महसूस करने वाली चीज़ है, अहकाम (धार्मिक प्रावधान) का संबंध उसके पाए जाने या न पाए जाने से है। जब वह पाया जाएगा तो हुक्म भी साबित होगा, और जब महिला उससे पाक हो जाएगी तो हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा।

परन्तु यदि रक्तस्राव साठ दिन से अधिक हो तो वह मुस्तहाज़ा (वह औरत जिसको लगातार ख़ून आता हो) मानी जाएगी। वह सामान्य तौर पर हैज़ के लिए जितने दिन बैठती है, उतने दिन बैठेगी, फिर नहाने के बाद नमाज़ पढ़ेगी।

प्रश्न 6: यदि रमज़ान के दिनों में किसी महिला को, दिन में मामूली खून की कुछ बूंदे गिरती हैं, और यही अवस्था पूरे रमज़ान क़ायम रहती है, और वह रोज़ा रखती है, तो क्या उसका रोज़ा सही होगा? उत्तर 6: हाँ, उसका रोज़ा सही होगा, जहां तक इन बूंदों की बात है तो यह कुछ नहीं हैं, क्योंकि यह रगों से निकलता है। अली बिन अबू तालिब -अल्लाह उनसे राज़ी हो- से नक़ल किया गया है कि आपने फ़रमाया: यह बूंदें नकसीर की तरह हैं, मासिक धर्म नहीं हैं। इसी प्रकार की बात आप रज़ियल्लाहू अनहु से उल्लेखित है। प्रश्न 7: यदि हायज़ (रजस्वला) या प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं फ़ज्र से पहले पाक हो जाएं, और फ़ज्र के बाद स्नान करें, तो क्या उसका रोज़ा सही होगा अथवा नहीं? उत्तर 7: हाँ, उस रजवती महिला का रोज़ा सही होगा यदि वह फ़ज्र से पहले पाक हो जाए, मगर स्नान फ़ज्र प्रकट होने के बाद करे। इसी प्रकार का हुक्म निफ़ास वाली महिलाओं के लिए है, इसलिए कि ऐसी स्थिती में वो उन लोगों में से हैं जिन को रोज़ा रखना अनिवार्य है। वह उस जुनुबी (स्वप्न दोष या पत्नी से संभोग के कारण नापाक हो जाने वाले) की तरह है कि फ़ज्र प्रकट हो जाए और वह जुनुबी ही हो, तो उसका रोज़ा रखना सही होता है। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: "और अब तुम अपनी पत्नियों के साथ संभोग करो, और अल्लाह ने जो लिख दिया है, उसे तलाश करो, और खाओ और

पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग हो जाए"।[सूरा अल-बक़रा: 187] जब अल्लाह ने फ़ज्र के प्रकट होने तक संभोग करने की अनुमति दी है, तो इसका अर्थ है कि फ़ज्र प्रकट होने के बाद ही स्नान किया जाएगा, मां आयशा -अल्लाह उनसे राज़ी हो- की इस हदीस़ के अनुसार, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के बाद जुनुबी अवस्था ही में स़ुबह कर लेते, और आप रोज़ा की अवस्था में भी होते। अर्थात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पाक होने का स्नान नहीं करते मगर स़ुबह प्रकट होने के बाद। प्रश्न 8: यदि औरत को ख़ून का एहसास हो, परन्तु सूर्यास्त से पहले न निकले, या आदत के मुताबिक़ दर्द महसूस हो, तो क्या उस दिन का रोज़ा सही होगा, या उसपर क़ज़ा वाजिब होगी? उत्तर 8: यदि पाक औरत को हैज़ की आहट महसूस हो, और वह रोज़े से हो, परन्तु ख़ून सूर्यास्त के बाद निकले। या वह हैज़ का दर्द महसूस करे, परन्तु ख़ून सूर्यास्त के बाद निकले, तो उसका उस दिन का रोज़ा सही होगा, यदि फ़र्ज़ रोज़ा है तो उसको दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं और यदि नफ़्ल है तो वह प्रतिफल से वंचित नहीं होगी। प्रश्न 9: यदि औरत ख़ून देखे और निश्चित न हो कि यह हैज़ का ख़ून है, तो उस दिन के रोज़े का क्या आदेश है? उत्तर 9: उस औरत का उस दिन का रोज़ा सही होगा, इसलिए कि अस़ल व मूल बात हैज़ का न होना है, यहाँ तक कि स्पष्ट हो जाए कि यह हैज़ का ख़ून है। प्रश्न 10: कभी-कभी महिला को ख़ून का हल्का सा निशान, या दिन के विभिन्न समय में बहुत कम बूंदें दिखाई देती हैं, कभी सामान्य समय अर्थात आदत के दिनों में देखती है तो कभी असामान्य समय में। दोनों स़ूरतों में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है? उत्तर 10: लगभग इसी तरह के प्रश्न का उत्तर कुछ पहले दिया जा चुका है, परन्तु सवाल यह है कि यदि यह बूंदें, (माहवारी वाली) आदत के दिनों में हों, और वह उन्हें माहवारी का ख़ून माने, जिसे वह पहचानती भी है, तो वह हैज़ होगा। प्रश्न 11: क्या माहवारी एवं प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं रमज़ान के दिन में खा-पी सकती हैं? उत्तर 11: हाँ, वे सब रमज़ान के दिन में खा-पी सकती हैं, परन्तु बेहतर यह है कि यदि घर में बच्चे हों तो यह छुप-छुपा कर हो, क्योंकि इससे वे उलझन में पड जाएंगे। प्रश्न 12: यदि हायज़ा (रजस्वला स्त्री) एवं प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाएं अस़्र के समय पाक हों, तो क्या उनपर ज़ुह्र एवं अस़्र दोनों नमाज़ें फ़र्ज़ है, या वो केवल अस़्र की नमाज़ पढ़ेंगी। उत्तर 12: इस मामले में सही राय यह है: कि उसपर केवल अस़्र की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि ज़ुह्र की नमाज़ के अनिवार्य होने की कोई दलील नहीं है। और अस़ल व मूल रूप में ज़िम्मा से बरी होना है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फ़रमाया भी है: "जिसने अस्र की एक रक्अत सूर्यास्त से पहले पा लिया, उसने अस्र की नमाज़ पा ली"। आप ने यह नहीं कहा कि उसने ज़ुह्र पा लिया। यदि ज़ुहर वाजिब होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसे अवश्य बयान करते, इसलिए कि औरत यदि ज़ुह्र की नमाज़ का समय होने के बाद हायज़ा हुई हो, तो उसपर केवल ज़ुह्र की नमाज़ की क़ज़ा है, अस्र की नहीं। हालांकि ज़ुह्र अस्र के साथ (आवश्यकता के समय) इकट्ठा कर के पढ़ी जाती है, तथा इसके एवं उस स्थिति में कोई अंतर नहीं है, जिसके बारे में सवाल हुआ है।

इस तरह सही राय यह है कि केवल अस्र की नमाज़ अनिवार्य है, तर्क एवं क़यास की बुनियाद पर। इसी तरह यदि इशा की नमाज़ का समय समाप्त होने से पहले औरत पाक हो, तो उसपर केवल इशा की क़ज़ा है, मग़रिब पढ़ना ज़रूरी नहीं है।

प्रश्न 13: कुछ महिलाएं जिनका गर्भपात हुआ हो, तो यह दो स्थिति से खाली नहीं होता है: या तो भ्रूण के रूप धारण करने से पहले महिला का गर्भपात हो, या भ्रूण के रूप धारण करने और उसमें नियोजन के प्रकट होने के बाद गर्भपात हो। ऐसी स्थिति में उस दिन के रोज़े का क्या हुक्म है जिस दिन गर्भपात हुआ हो, या उन दिनों के रोज़े का क्या हुक्म है जिन दिनों में वह ख़ून देखे? उत्तर 13: यदि भ्रूण का सृजन न हुआ हो, तो यह ख़ून निफ़ास का ख़ून नहीं है। इस आधार पर वह रोज़ा रखेगी, नमाज़ पढ़ेगी और उसका रोज़ा सही होगा।

यदि भ्रूण का सृजन हो चुका है, तो यह निफ़ास का ख़ून है। ऐसी सूरत में उसका नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना सही नहीं होगा।

इस मामले में नियम यह है कि: यदि भ्रूण का सृजन हो चुका है तो वह निफ़ास का ख़ून है, और यदि उसका का सृजन नहीं हुआ है तो यह निफ़ास का ख़ून नहीं है। अब यदि यह निफ़ास का ख़ून है तो उस पर वह चीज़ें हराम होंगी जो प्रसवोत्तर रक्तस्राव वाली महिलाओं पर होती हैं, और यदि यह निफ़ास का ख़ून नहीं है तो उसपर वह चीज़ें हराम नहीं होंगी।

प्रश्न 14: रमज़ान में दिन के समय गर्भवती महिला को ख़ून आना, क्या उसके रोज़े पर प्रभाव डालेगा? उत्तर 14: यदि महिला को हैज़ का ख़ून निकले और महिला रोज़े से हो, तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया है: "क्या जब वह हैज़ से होती है तो ऐसा नहीं होता है कि वह न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है?"। इसलिए हम उसे रोज़ा न रखने वालियों में से मानते हैं, इसी तरह निफ़ास का भी मामला है। हैज़ और निफ़ास के ख़ून का आना, रोज़ा को ख़त्म कर देता है।

रमज़ान में दिन के समय गर्भवती से ख़ून का निकलना, यदि वह हैज़ का ख़ून हो, तो यह गैर गर्भवती हायज़ा की तरह है। अर्थात इस से रोज़ा टूट जाता है। किंतु यदि हैज़ का ख़ून न हो तो कोई बात नहीं।

गर्भवती महिला को हैज़ का ख़ून आना उसी समय संभव होता है जब उसके गर्भवती होने के बाद भी उसे हैज़ का ख़ून बंद न हुआ हो। बल्कि उसके निर्धारित समय में आता रहा हो। सही राय के अनुसार यह हैज़ है, एवं उस पर हैज़ के नियम लागू होंगे।

परन्तु अगर गर्भवती होने के बाद उसका ख़ून आना बंद हो गया था, और फिर अभी ख़ून देख रही है, तो यह सामान्य हैज़ का ख़ून नहीं है। इससे उसके रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्न 15: यदि महिला अपनी आदत के दिनों में किसी दिन ख़ून देखे, फिर उसके अगले दिन, दिन भर न देखे, तो वह क्या करे? उत्तर 15: यह स्पष्ट है कि यह सूखापन या पाकी, जो उसने हैज़ के दिनों में देखा, उसपर हैज़ का ही हुक्म लगेगा, उसको शुद्धता (तुह्र) नहीं माना जाएगा। इस अवस्था में वह उन सभी चीज़ों से रुकी रहेगी जिनसे हायज़ा औरत रुकी रहती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो औरत एक दिन ख़ून देखे और दूसरे दिन नहीं, तो ख़ून देखने के दिन हायज़ा होगी और ख़ून न देखने के दिन पाक होगी, यहाँ तक कि इस तरह पंद्रह दिन हो जाए। यदि पंद्रह दिन हो जाए तो उसके बाद इसको इस्तेहाज़ा का ख़ून (Menorrhagia, अत्यार्तव) माना जाएगा। यह इमाम अहमद -उनपर अल्लाह की दया हो- के मज़हब की प्रसिद्ध राय है। प्रश्न 16: हैज़ के आख़री दिनों में, पाक होने से पूर्व, औरत ख़ून की कोई निशानी नहीं देखती है, क्या वह उस दिन रोज़ा रखेगी, जबकि उसने सफेदी (यह एक चूना जैसा तरल पदार्थ होता है, जो हैज़ समाप्त होने की निशानी होती है) नहीं देखी है, या क्या करेगी? उत्तर 16: यदि वह औरत सफ़ेदी कभी नहीं देख पाती है -जैसा कि कुछ औरतों के साथ होता है- तो वह रोज़ा रखेगी। यदि उसकी आदत है कि वह सफ़ेदी देखती है, तो वह रोज़ा नहीं रखेगी, यहाँ तक कि सफ़ेदी देख ले। प्रश्न 17: हायज़ः या निफ़ास वाली औरत का ज़रूरत के समय देखकर या बिना देखे क़ुरआन

पढ़ना कैसा है, जैसे कि यदि वह छात्रा हो या शिक्षिका? उत्तर 17: ज़रूरत के समय हायज़ः या निफ़ास वाली औरत के कुरआन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि वह शिक्षिका हो या दिन व रात में क़ुरआन का कुछ हिस्सा उसे पढ़ने की आदत हो।

परन्तु अगर केवल नेकी पाने की निय्यत से क़ुरआन पढ़ना चाहती हो तो बेहतर है कि न पढ़े, क्योंकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हायजा (रजस्वला) के लिए क़ुरआन पढ़ना जायज़ नहीं है।

प्रश्न 18: क्या पाक होने के बाद हायजा (रजस्वला) के लिए कपड़ा बदलना ज़रूरी है, जबकि वह जानती है कि उसमें ख़ून या गंदगी में से कुछ भी नहीं लगी है। उत्तर 18: कपड़ा बदलना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हैज़ शरीर को नापाक नहीं करता है, बल्कि हैज़ का ख़ून केवल उसी को गंदा करता है जिसे वह लग जाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों को आदेश दिया है कि यदि उनके कपड़े में हैज़ का ख़ून लग जाए तो वे हैज़ का ख़ून धो लें एवं अपने कपड़ों में नमाज़ पढ़ें। प्रश्न 19: एक महिला रमज़ान में प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण सात दिन रोज़ा नहीं रखी, और क़ज़ा भी नहीं की यहाँ तक कि अगला रमज़ान आ गया, जिसमें वह बच्चे को दूध पिलाने के कारण सात दिन रोज़ा नहीं रख सकी, फिर क़ज़ा भी नहीं की, यह कहकर कि उसको बीमारी है। तो उस पर अब क्या करना अनिवार्य है जबकि तीसरा रमज़ान प्रवेश करने को है? कृप्या मामला को स्पष्ट करें, अल्लाह आपको प्रतिफल दे। उत्तर 19: यदि ऐसी ही स्थिति हो जैसा कि इस औरत ने अपने बारे में कहा -कि वह बीमार है, और क़ज़ा नहीं कर सकती-, तो जब वह सक्षम होगी रोज़ा रख लेगी, क्योंकि उसके पास कारण है, यद्यपि दूसरा रमज़ान आ जाए। परंतु यदि उसके पास रोज़ा न रखने का कोई कारण न हो, अपितु वह बहाना और टालमटोल कर रही हो, तो एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक रोज़ा को टालना सही नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं: "हम पर रोज़ा बाक़ी होता था, जिसे हम शाबान महीना में ही पूरा कर पाती थीं"।

इस बुनियाद पर इस महिला पर अनिवार्य है कि वह अपने आपकी समीक्षा करे, यदि उसके पास वास्तव में रोज़ा न रखने का कोई कारण नहीं है, तो वह गुनाहगार है। उसको चाहिए कि वह अल्लाह के समक्ष तौबा करे, और जो रोज़ा बाक़ी है उसको पूरा करने में जल्दी करे। और यदि कोई उज़्र (कारण) है, तो कोई बात नहीं, यद्यपि एक साल या दो साल बीत जाए।

प्रश्न 20: कुछ महिलाएं दूसरे रमज़ान में प्रवेश कर जाती हैं, जबकि वे पिछले रमज़ान के बाक़ी रोज़े पूरे नहीं कर पाई होती हैं, तो उन महिलाओं पर क्या वाजिब है? उत्तर 20: इस काम के कारण उनपर तौबा वाजिब है, इसलिए कि जिसपर रमज़ान के रोज़े बाक़ी हैं, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वह उन्हें बिना कारण दूसरे रमज़ान तक टाल दे। इसकी दलील आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वह हदीस़ है जिसमें वह कहती हैं: "हम पर रोज़ा बाक़ी होता था, जिसे हम शाबान महीना में ही पूरा कर पाती थीं"।

यह इस बात का प्रमाण है कि क़ज़ा रोज़ा को रमज़ान के बाद तक टालना उचित नहीं है। इसलिए उस महिला पर अनिवार्य है कि उसने जो ग़लत काम किया है, वह उसके लिए तौबा करे, एवं छूटे हुए रोज़े को दुसरे रमज़ान के बाद पूरा करे।

प्रश्न 21: यदि किसी महिला को दोपहर एक बजे हैज़ आया, और उसने ज़ुह्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो क्या पवित्र होने के बाद उसके लिए उस नमाज़ को पढ़ना ज़रूरी है? उत्तर 21: इस सिलसिले में विद्वानों के बीच मतभेद है, उनमें से कुछ लोग कहते हैं: उसपर इस नमाज़ की क़ज़ा वाजिब नहीं है, इसलिए कि उसने कोई कमी नहीं की और न गुनाह का काम किया, क्योंकि उसके लिए नमाज़ को अंतिम समय तक विलंब कर के पढ़ना जायज़ है। जब्कि उनमें से कुछ अन्य लोगों ने कहा है: उसपर उस नमाज़ की क़ज़ा वाजिब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस आम फ़रमान के अनुसार: "जिसे किसी नमाज़ की एक रक्अत मिल गई, उसे नमाज़ मिल गई"।

और एहतियात यह है कि वह उसको पढ़ लिया जाए, इसलिए कि यह एक ही नमाज़ है, जिसको पूरी करने में कोई परेशानी नहीं है।

प्रश्न 22: यदि गर्भवती महिला को बच्चा जन्म देने से एक या दो दिन पहले रक्त दिखाई दे, तो क्या उसके कारण वह नमाज़ एवं रोज़ा छोड़ दे, या क्या करे? उत्तर 22: यदि गर्भवती महिला को बच्चा जन्म देने से एक या दो दिन पहले रक्त दिखाई दे, एवं साथ में दर्द जारी हो, तो यह निफ़ास है। ऐसी स्थिति में वह नमाज़ व रोज़ा छोड़ देगी। किंतु यदि दर्द जारी न हो तो वह ख़राब ख़ून है, उसका कोई एतबार नहीं है, तथा ऐसी स्थिति में वह नमाज़ व रोज़ा नहीं छोड़ेगी। प्रश्न 23: लोगों के साथ रोज़ा रखने के लिए माहवारी रोकने वाली गोलियां लेने के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर 23: मैं इस से दूर रहने को कहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की गोलियां लेने में बहुत नुकसान है, मेरे पास डॉक्टरों के द्वारा इसकी पुष्टि हो चुकी है। और औरतों से कहा जायेगा कि: यह ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह

ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया है। इसलिए जो महान एवं उच्च अल्लाह ने लिख दिया है, उससे संतुष्ट रहें, कोई रुकावट न हो तो रोज़ा रखें, यदि रुकावट हो तो रोज़ा न रखें एवं अल्लाह के लिखे भाग्य पर ख़ुश रहें। प्रश्न 24: निफ़ास के दो महीने के पश्चात, (एवं इससे) पाक हो जाने के बाद, महिला ख़ून की कुछ छोटी बूंदें देखे, तो क्या वह रोज़ा नहीं रखेगी एवं नमाज़ नहीं पढ़ेगी, या क्या करेगी? उत्तर 24: हैज़ या निफ़ास से संबंधित महिलाओं की समस्याएं, यह एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं है। उनके कारणों में से हैज़ (पीरियड्स डिले टैबलेट्स) या गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन भी है। लोग पहले इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करते थे। यह सही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने से ही यह समस्या पाई जाती है, बल्कि जब से औरतों की उत्पत्ति हुई है तब से (यह समस्या मौजूद है), परन्तु इतनी अधिकता, कि जिन समस्याओं को सुलझाने में आदमी हैरान व परेशान है, यह एक खेदजनक स्थिति है। परन्तु सामान्य नियम यह है किः जब महिला पाक हो जाए, और हैज़ अथवा निफ़ास में वह अपनी निश्चित पवित्रता को देख ले, - हैज़ के बाद पाकी से मेरा अभिप्राय यह है कि वह सफेद तरल को भी देख ले जिसे महिलाएं जानती हैं- तो इस पवित्रता के बाद गदला या पीला ख़ून, या बूंद या तरलता के बारे में ज्ञात रहे कि यह हैज़ नहीं है, इससे वे न नमाज़ से रुकेंगी न रोज़ा से, और न ही पति अपनी पत्नी से मिलने से रुकेगा, इसलिए कि यह हैज़ नहीं है। उम्मे अतिय्या कहती हैं: "हम पीलेपन या गदलेपन को कुछ नहीं समझती थीं" इसको इमाम बुख़ारी ने वर्णन किया है, और इमाम अबू दाऊद ने इतना ज़्यादा किया हैः "शुद्ध होने के पश्चात" और इसकी सनद सही है। इस बुनियाद पर हम कहते हैं: निश्चित पवित्रता प्राप्त करने के बाद इस प्रकार की चीज़ें औरत को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, न उसे नमाज, रोज़ा और न ही अपने पति से मिलने से रोकती हैं, परन्तु वाजिब है कि वे निश्चित पवित्रता देखे जाने तक जल्दी न करें। इसलिए कि कुछ महिलाएं, जब ख़ून सूख जाता है तो जल्दी करती हैं और पाकी देखने से पहले ही स्नान कर लेती हैं। और इसी लिए सहाबा की औरतें मोमिनों की मां हज़रत आयशा -अल्लाह उनसे राज़ी हो- के पास वह रूई देकर भेजती थीं जिसमें ख़ून लगा होता था, तो आप उनसे कहतीं: जल्दी न करो यहाँ तक कि सफेद पदार्थ को देख लो। प्रश्न 25: कुछ महिलाओं का ख़ून लगातार जारी रहता है, बस कभी कभार एक या दो दिन नहीं आता है, फिर लौट आता है। इस स्थिति में नमाज़, रोज़ा तथा दूसरी इबादतों का क्या हुक्म है? उत्तर 25: अनेक विद्वानों के निकट यह प्रसिद्ध है किः यदि औरत की एक निर्धारित अवधि हो, तो उस अवधि के समाप्त हो जाने

के बाद वह स्नान करेगी, नमाज़ पढ़ेगी, एवं रोज़ा रखेगी। तथा दो या तीन दिन के बाद वह जो भी देखे वह हैज़ नहीं है, इसलिए कि इन विद्वानों के निकट पाकी की न्यूनतम अवधि तेरह दिन है।

जबकि दूसरे विद्वानों का कहना है किः वह जब भी ख़ून देखे तो वह हैज़ है, और जब पाकी देखे तो पाक है, यद्यपि दोनों माहवारी के बीच तेरह दिन का अंतराल न हो।

प्रश्न 26: औरत के लिए क्या बेहतर है: वह रमज़ान की रातों में अपनी नमाज़ घर में पढ़े या मस्जिद में, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब मस्जिद में उपदेश और दीन की बातें होती हों? और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाली औरतों के संबंध में आपकी क्या राय है? उत्तर 26: औरत के लिए बेहतर है कि वह अपने घर में नमाज़ पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के व्यापक होने के कारण: "एवं उनके घर उनके लिए बेहतर हैं"। और इसलिए कि अधिकांश समय में महिलाओं का घर से निकलना फ़ितना से खाली नहीं होता है। इस कारणवश औरत के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से घर में ही पढ़ना बेहतर है। जहाँ तक उपदेशों एवं नसीहतों का संबंध है, तो वह टेप के माध्यम से घर में भी प्राप्त की जा सकती हैं।

एवं जो औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ती हैं, उनके लिए मेरी नसीहत है कि वो बे पर्दा होकर या ख़ुशबू लगाकर घर से न निकलें।

प्रश्न 27: रमज़ान के दिनों में खाना चखने का क्या हुक्म है, जबकि औरत रोज़ा से हो? उत्तर 27: ज़रूरत के समय ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, परन्तु चखने के पश्चात जो चखा हो उसे मुँह से निकाल दे। प्रश्न 28: एक महिला अपनी गर्भावस्था की शुरुआत में एक दुर्घटना में घायल हो जाती है, और गंभीर रक्तस्राव के कारण उसका गर्भपात हो जाता है। क्या उसके लिए रोज़ा छोड़ देना जायज़ है या रोज़ा रखती रहेगी? और यदि वह रोज़ा छोड़ दे तो क्या वह गुनाहगार होगी? उत्तर 28: हम कहेंगे कि गर्भवती महिलाओं को माहवारी नहीं आती है, जैसा कि इमाम अहमद -उनपर अल्लाह की रहमत हो- कहते हैं: औरतें माहवारी का सिलसिला ख़त्म होने के द्वारा ही प्रेग्नेंसी (गर्भ) जान पाती हैं। एवं विद्वानों के अनुसार हैज़ को अल्लाह ने बच्चे को उसकी माँ के पेट में आजीविका प्रदान करने के लिए पैदा किया है।अतः जब बच्चा ठहर जाता है तो हैज़ का सिलसिला रुक जाता है।

परन्तु कुछ औरतों का हैज़ उसी प्रकार आदत के अनुसार जारी रहता है जिस प्रकार प्रेग्नेंसी से पहले था। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि यह सही हैज़ है, क्योंकि उसका हैज़ जारी रहा और प्रेग्नेंसी ने उसपर कोई प्रभाव नहीं डाला। तो यह हैज़ औरत को हर उस चीज़ से रोक देगा जिन चीज़ों से गैर गर्भवती हायज़ा (रजस्वला) औरत को रोक देता है। और गैर गर्भवती हायज़ा (रजस्वला) औरत के लिए जो अनिवार्य करता है इसके लिए भी वही अनिवार्य करेगा एवं गैर गर्भवती हायज़ा (रजस्वला) औरत के लिए जो ख़त्म कर देता है इससे भी उन चीज़ो को ख़त्म कर देगा।

परिणाम: गर्भवती महिला को जो ख़ून आता है, वह दो प्रकार का है:

- एक प्रकार यह माना जाएगा कि यह हैज़ का ख़ून है, और वह यह है कि वह उसी प्रकार जारी रहे जैसे प्रेग्नेंसी से पहले था। इसका अर्थ यह है कि प्रेग्नेंसी ने उसपर कोई प्रभाव नहीं डाला है, तो यह हैज़ है।

- दूसरा प्रकार यह है कि गर्भवती महिला को ऐसे ही किसी दुर्घटना, किसी चीज़ को उठाने, कहीं से गिरने या किसी और कारण से अचानक ख़ून आने लगा। तो यह हैज़ का ख़ून नहीं है, यह नस से निकलने वाला ख़ून है। ऐसी स्थिति में वह न नमाज़ से रुकेगी न रोज़ा से, बल्कि वह पवित्र महिलाओं की तरह ही होगी।

मगर किसी दुर्घटना के कारण यदि वह बच्चा अथवा गर्भ गिर जाए जो उसके पेट में है, तो इस संबंध में विद्वानों का कहना है: यदि इस गिरने वाले गर्भ पर इंसान का आकार स्पष्ट हो गया हो, तो उसके गिरने के बाद जो ख़ून निकलेगा, वह निफ़ास का ख़ून माना जाएगा, और वह नमाज़ एवं रोज़ा छोड़ देगी और पाक होने तक उसका पति उस से दूर रहेगा।

और यदि उस पर इंसान का आकार ज़ाहिर नहीं हुआ हो तो उसे निफ़ास का ख़ून नहीं माना जाएगा, बल्कि वह दूषित रक्त होगा। ऐसी स्थिति में वह नमाज़, रोज़ा या दूसरी चीज़ों से नहीं रुकेगी।

विद्वानों ने कहा है: न्यूनतम अवधि जिसमें सृष्टि का आकार प्रकट होता है, वह इक्कासी दिन है, क्योंकि भ्रूण अपनी माता के गर्भ में जैसाकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद -अल्लाह उनसे राज़ी हो- कहते हैं: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, -जो सच्चे हैं और जिनकी सच्चाई की पुष्टि की गई है- ने फ़रमाया है: "तुम में से हर एक

अपनी माँ के पेट में चालीस दिनों तक वीर्य की शक्ल में होता है, फिर ख़ून का जमा हुआ लोथड़ा होता है, फिर मांस का रुप लेता है। फिर अल्लाह तआला उसकी तरफ फ़रिश्ता भेजता है, जिसको चार बातों का आदेश दिया जाता है, वह लिखता है उसकी जीविका, उसकी मौत का समय, उसका अमल (कार्य), और यह कि वह नेक होगा या बुरा"। इस अवस्था से पहले उसका आकार लेना संभव नहीं है, अधिकांशतः सृजन नब्बे दिनों से पहले प्रकट नहीं होता है, जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है। प्रश्न 29: मैं वह औरत हूँ जिसका एक वर्ष पूर्व तीसरे महीने में गर्भपात हो गया था, मैं ने पाक होने तक नमाज़ नहीं पढ़ी। मुझ से कहा गया है कि: तुम को नमाज़ पढ़ना ज़रूरी था। मैं क्या करूँ, जबकि मैं दिनों की सही संख्या नहीं जानती हूँ? उत्तर 29: विद्वानों के निकट यह प्रसिद्ध है कि यदि औरत का तीन महीने में गर्भपात हो जाए, तो वह नमाज़ नहीं पढ़ेगी। इसलिए कि यदि किसी महिला का ऐसी स्थिति में भ्रूणपात हो जिस में मानव आकार स्पष्ट हो चुका हो, तो ऐसी दशा में जो ख़ून निकलता है वह निफ़ास का ख़ून होता है। इसलिए वह नमाज़ नहीं पढ़ेगी।

विद्वानों ने कहा है: संभव है कि इक्यासी दिनों में भ्रूण निर्माण ज़ाहिर होने लगे, और यह तीन महीने से कम की अवधि है। जब विश्वास हो कि तीन महीने में भ्रूण गिरा है, तो वह ख़राब ख़ून होगा और महिला उसके कारण नमाज़ नहीं छोड़ेगी।

यह पूछने वाली महिला याद करने का प्रयास करे, कि यदि भ्रूण अस्सी दिन के पहले गिर गया हो, तो वह नमाज़ कज़ा करेगी, और यदि याद न हो कि कितने दिनों की नमाज़ छोड़ी है? तो वह अनुमान लगाएगी और दुरुस्त तादाद तक पहुँचने की चेष्टा करे गी, और जितने दिनों के बारे में गुमान ग़ालिब हो जाए कि उसने इतने दिनों की नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो वह उतने दिनों की नमाज़ पढ़ेगी। प्रश्न 30: एक औरत प्रश्न करती है: जब से उस पर रोज़ा फ़र्ज हुआ है, वह रमज़ान का रोज़ा रखती है, परन्तु वह उन दिनों के रोज़े कज़ा नहीं करती है जिन दिनों के रोज़े वह माहवारी के कारण छोड़ देती है, अब उन छोड़े हुए रोज़े के दिनों की सही संख्या मालूम न होने के कारण उस पर क्या करना वाजिब है? उत्तर 30: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईमान वालों की महिलाओं के बीच ऐसा कुछ होता है, इसलिए कि वाजिब रोज़े की कज़ा को छोड़ देना, या तो अज्ञानता के कारण होता है या लापरवाही के कारण, और दोनों ही मुसीबत हैं। इसलिए कि अज्ञानता की दवा ज्ञान अर्जित करना एवं प्रश्न करना है, जहाँ तक लापरवाही का सवाल है, तो इसका उपाय है

सर्वशक्तिमान अल्लाह से डरना, उसकी निगरानी का भय खाना, उसकी सज़ा से डरना, और जो कार्य अल्लाह को प्रसन्न करे उसके लिए जल्दबाजी करना।

अतः इस महिला पर फ़र्ज है कि वह अपनी ग़लती के लिए अल्लाह के पास तौबा करे, उससे क्षमा माँगे और जिन दिनों के रोज़े उससे छूट गए हैं, जहाँ तक हो सके उनको पूरा करे। इस तरह वह अपने ज़िम्मे से मुक्त हो सकती है। हम आशा करते हैं कि अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करेगा।

प्रश्न 31: नमाज़ का समय शुरू होने के बाद यदि कोई महिला हायज़ा होती है, तो उसका आदेश क्या है? क्या जब वह पाक होगी तो इस नमाज़ की कज़ा करेगी? इसी तरह यदि वह नमाज़ का समय निकलने से पहले पाक हो जाए, तो क्या उसके लिए इस नमाज़ का पढ़ना वाजिब है? उत्तर 31: पहली बात तो यह है कि यदि महिला नमाज़ का समय शुरू होने के बाद हायज़ा हुई हो, तो जब वह पाक होगी तो इस नमाज़ की क़ज़ा करेगी जिस नमाज़ के समय वह हायज़ा हुई थी, यदि वह हैज़ आने से पूर्व उसे न पढ़ी हो तो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है: "जिसे किसी नमाज़ की एक रक्अत मिल गई, उसे नमाज़ मिल गई"। यदि महिला ने नमाज़ के समय में से एक रक्अत नमाज़ का समय पा लिया, फिर नमाज़ पढ़ने से पूर्व रजवती हुई, तो जब वह पाक होगी, तो इस नमाज़ की क़ज़ा करेगी। दूसरी बात यह है कि यदि नमाज़ का समय ख़त्म होने से पहले वह हैज़ से पाक हो जाए, तो उसपर उस नमाज़ की क़ज़ा अनिवार्य है। यदि वह सूर्योदय के इतना समय पहले पाक हो जाए कि वह एक रक्अत नमाज़ पढ़ सकती है, तो उसपर फ़ज्र की नमाज़ की क़ज़ा वाजिब है। और यदि वह सूर्यास्त के इतना पहले पाक हो जाए कि वह एक रक्अत नमाज़ पढ़ सकती है, तो उसपर अस्र की नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है। और यदि वह आधी रात से इतना पहले पाक हो जाए कि वह एक रक्अत नमाज़ पढ़ सकती है, तो उसपर इशा की नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है। और यदि आधी रात के बाद पाक हो तो उसपर इशा की नमाज़ वाजिब नहीं है, अब उसपर केवल फ़ज्र की नमाज़ अनिवार्य है, जब उसका समय होजाए। पाक और महान अल्लाह ने कहा है: "जब तुम शांत हो जाओ तो पूरी नमाज़ पढ़ो, निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है"।[सूरा अल-निसा: 103] अर्थात निर्धारित समय में फ़र्ज़ है, किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वह नमाज़ को उसके समय से पहले या बाद में पढ़े। प्रश्न 32: मुझे नमाज़ के दौरान माहवारी आ गई, तो क्या

करूँ? और क्या हैज़ के दौरान की नमाज़ों की क़ज़ा करूं? उत्तर 32: यदि नमाज़ का समय शुरू होने के बाद हैज़ आए -जैसा कि ठीक दोपहर के आधे घंटे बाद हैज़ आए-, तो वह पाक होने के बाद उस नमाज़ की क़ज़ा करेगी जिसके समय पाक होने की अवस्था में वह हायज़ा हुई थी। अल्लाह तआला का यह फ़रमान उसकी दलील है: "निःसंदेह नमाज़ ईमान वालों पर निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है"।[सूरा अल-निसा: 103] हैज़ के समय की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक लंबी हदीस़ में फ़रमाया है: "क्या ऐसा नहीं है कि जब वह हैज़ से होती है तो न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है?"। विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि महिला हैज़ के दौरान छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी। जहाँ तक उसके पाक होने की बात है, तो यदि नमाज़ के समय में से एक रक्अत नमाज़ पढ़ने का समय भी बचा हुआ हो, तो वह उस समय की नमाज़ पढ़ेगी, जिस समय वह पाक हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के अनुसार: "जिसने अस्र की एक रक्अत सूर्यास्त से पहले पा लिया, उसने अस्र की नमाज़ पा ली"। यदि वह अस्र के समय या सूर्य उदय से पहले पाक हो, और सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले एक रक्अत का समय भी मिल जाए, तो वह अस्र की नमाज़ या फ़ज्र की नमाज़ पढ़ेगी। प्रश्न 33: मेरी एक मां है, जिसकी आयु पैंसठ वर्ष है, उन्नीस वर्ष से उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है, अब उनको तीन वर्षों से ख़ून आ रहा है, -और ऐसा लग रहा है कि- वह बीमारी है, तथा इसी दौरान उनको यह हुआ, अब रमज़ान का समय निकट है, अतः आप उनको क्या नसीहत करेंगे? और इस तरह के मामला में क्या किया जाए? उत्तर 33: इस जैसी औरत जिसको रक्त आ रहा है, उसके बारे में आदेश यह है कि उसके साथ पेश आने वाली इस घटना से पूर्व जो उसकी हैज़ आने की आदतानुसार अवधि थी, उतने दिनों तक नमाज़ एवं रोज़ा छोड़ दे। जैसे कि -उदाहरणस्वरूप- यदि उसकी आदत थी कि हर महीने के पहले छः दिनों तक हैज़ आता था, तो वह हर महीने के पहले छः दिनों तक नमाज़ और रोज़ा से रुक जाएगी, और जब यह अवधि समाप्त हो जाएगी तो वह स्नान करेगी और नमाज़ व रोज़ा करेगी।

इस तरह की औरतों के नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि वह अपनी योनि को पूरी तरह से धो लेगी, फिर उसको कपड़ा आदि से बांध लेगी, वुज़ू करेगी, और ऐसा वह यह प्रत्येक फ़र्ज़ नमाज़ का समय शुरू होने के बाद करेगी। तथा इसी प्रकार से वह ऐसा तब करेगी जब फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा समय में नफ़्ल नमाज़ पढ़ना चाहेगी।

इस हालत में -और उसको होने वाली परेशानी के मद्दे नज़र- उसके लिए जायज़ है कि वह ज़ुह्र और अस्र की नमाज़ को जमा कर ले, और मग़रिब और इशा की नमाज़ को जमा कर ले। इस तरह ज़ुह्र एवं अस्र की दो नमाज़ों के लिए एक बार यह काम करेगी। तथा मग़रिब एवं इशा की दो नमाज़ों के लिए एक बार और फ़ज्र की नमाज़ के लिए एक बार, इस तरह पांच बार के बदले तीन बार यह काम करेगी। मैं इसे दोबारा बयान करता हूँ: जब आप पाक होना चाहें तो अपनी योनी को अच्छी तरह धो लें, और उसे किसी कपड़े या इसी तरह की पट्टी से बांध दें ताकि बाहरी भाग सूख जाये, फिर वुज़ू करें, तत्पश्चात ज़ुह्र चार रक्अत, अस्र चार रक्अत, मग़रिब तीन रक्अत, इशा चार रक्अत और फ़ज्र दो रक्अत पढ़ें। इन नमाज़ों को क़स्र करके अर्थात कम कर के नहीं पढ़ेंगी, जैसा कि आम जन में से कुछ लोग सोचते हैं। परन्तु उनके लिए जायज़ है कि वह ज़ुह्र एवं अस्र की नमाज़ एक साथ पढ़ें एवं मग़रिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ें। ज़ुह्र को अस्र के साथ या तो पहले या विलंब करके, मग़रिब को इशा के साथ पहले या विलंब करके। और यदि इसी वुज़ू से नफ़्ल पढ़ना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न 34: ख़ुत्बों एवं नसीहतों को सुनने के लिए, हायज़ा (माहवारी वाली) औरत का मस्जिद -ए- हराम जाना कैसा है? उत्तर 34: हायज़ा औरत के लिए मस्जिद हराम या किसी दूसरी मस्जिदों में रुकना सही नहीं है, परन्तु उसके लिए मस्जिद से गुज़रना और ज़रूरत की कोई चीज़ या इसी तरह का कोई सामान लेना या करना जायज़ है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को आदेश दिया कि वह ख़ुमरा[1](चटाई) ले कर आएं, तो उन्होंने कहा: वह मस्जिद में है और मैं हायज़ा (माहवारी से) हूँ, तो आपने कहा: "तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है"। यदि औरत को यक़ीन हो कि उसके ख़ून की बूंदें मस्जिद में नहीं पड़ेंगी, तो उससे गुज़रने में कोई हर्ज नहीं है।

परंतु, यदि हायज़ा औरत मस्जिद में प्रवेश कर के वहाँ बैठना चाहती है, तो यह जायज़ नहीं है।

इसकी दलील यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों को ईद की नमाज़ के लिए निकलने का आदेश दिया और कहा कि सभी औरतें नवयुवती, बच्चियां एवं हायज़ा औरतें ईदगाह के लिए निकलें, मगर यह कि हायज़ा औरतें नमाज़ की जगह से

[1] अल-ख़ुमरा, अरबी शब्द है, इसका अर्थ वह सज्जादा है जिसपर नमाज़ी नमाज़ पढ़ता है, और इसको ख़ुमरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुख को ढ़ाँप लेती है अर्थात उसे छुपा लेती है।

दूर रहें। यह प्रमाण है कि मासिक धर्म वाली महिला के लिए मस्जिद में उपदेश सुनने, या पाठ और हदीस सुनने के लिए रुकना जायज़ नहीं है।

*

नमाज़ में पवित्रता के अहकाम

प्रश्न 35: स्त्री से निकलने वाला द्रव- चाहे सफेद हो या पीला- शुद्ध है या अशुद्ध? और क्या उसमें वुज़ू वाजिब है यदि वह लगातार बह रहा है? तथा रुक रुक कर आने वाले द्रव का क्या आदेश है, विशेषकर जब अधिकांश महिलाएं - ख़ास कर शिक्षिकाएं- इसे प्राकृतिक नमी मानती हैं, जिससे वुज़ू ज़रूरी नहीं है? उत्तर 35: शोध के बाद मुझे यह पता चला है कि औरत से निकलने वाला तरल पदार्थ यदि मूत्राशय से न निकले, बल्कि गर्भाशय से निकले, तो वह पाक है, परन्तु उससे वुज़ू टूट जाता है, यद्यपि वह पाक है। इसलिए कि वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह नापाक ही हो। जैसा कि पिछले रास्ते से जो हवा निकलती है, इसका कोई आकार नहीं होता है, फिर भी यह वुज़ू को अमान्य कर देती है।

इस आधार पर जब औरत (की योनि) से कोई पदार्थ निकले, और वह वुज़ू से हो, तो इस से वुज़ू टूट जाता है, और उसपर दोबारा वुज़ू करना ज़रूरी है।

यदि लगातार द्रव आए तो वुज़ू नहीं टूटेगा, परन्तु जब नमाज़ का समय हो जाए तो उसके लिए वुज़ू करेगी, और जिस समय की नमाज़ के लिए वुज़ू की है, उस समय की फ़र्ज़ एवं नफ्ल नमाज़ें पढ़ेगी, क़ुरआन पढ़ेगी और उसके लिए हलाल चीज़ों में से जो चाहे करेगी। जैसाकि विद्वानों ने उस व्यक्ति के बारे में कहा है, जिसे मूत्र असंयम की समस्या होती है, पाक होने के हिसाब से वह तरल पदार्थ की तरह है, जोकि पाक है, परन्तु वुज़ू टूटने के हिसाब से, यह वुज़ू भंजक (तोड़ने वाला) है, मगर यह कि लगातार पेशाब न आता हो। यदि लगातार पेशाब निकलता हो तो इस से वुज़ू नहीं टूटता है। मगर औरत के लिए ज़रूरी है कि वह नमाज़ का समय होने के बाद ही वुज़ू करे और सुरक्षित उपाय अपनाए।

यदि द्रव रुक रुक कर आए, और अगर यह आदत में से हो कि वह नमाज़ के समय में ही रुक जाता हो, तो द्रव रुकने तक नमाज़ में विलंब करेगी, जब तक कि नमाज़

का समय निकल जाने का डर न हो। और यदि नमाज़ का समय ख़त्म हो जाने का डर हो तो वह वुज़ू करेगी, (पैड इत्यादि) बांधेगी -सुरक्षित उपाय अपनाएगी- एवं नमाज़ पढ़ेगी।

कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी (योनि के) रास्ते से ही निकलते हैं, अतः इस की अधिक अथवा कम मात्रा सभी वुज़ू को तोड़ देती हैं, इसके विपरीत जो शरीर के दूसरे भागों से निकलते हैं जैसे कि ख़ून या उल्टी, उनका कम या ज़्यादा होना वुज़ू को नहीं तोड़ता है।

कुछ महिलाएं यह मानती हैं कि इस द्रव से वुज़ू नहीं टूटता है, मेरी जानकारी की हद तक इसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिवाए इब्ने हज़्म की एक राय के, जिसमें वह कहते हैं कि इस से वुज़ू नहीं टूटता है। परन्तु उन्होंने इसपर कोई तर्क पेश नहीं किया है। यदि क़ुरआन व हदीस़ या स़हाबा की बातों से कोई तर्क होता तो यह प्रमाणित होता।

ऐसी औरत को अल्लाह से डरना चाहिए और अपनी पवित्रता का ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि पाक हुए बगैर नमाज़ स्वीकार नहीं होती, चाहे उसको सौ बार पढ़ लिया जाए। बल्कि कुछ विद्वानों का कहना है कि जिसने बिना पाकी के नमाज़ पढ़ी, तो उसने कुफ़्र किया, इसलिए कि ऐसा करके उसने मानो अल्लाह की आयतों का मज़ाक़ उड़ाया।

प्रश्न 36: जिस औरत को लगातार तरल पदार्थ आ रहा हो, क्या उसके लिए जायज़ है कि वह एक फ़र्ज़ नमाज़ के लिए वुज़ू करे, और उसी वुज़ू से दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ के आने तक नवाफिल एवं क़ुरआन पढ़े? उत्तर 36: यदि पहली घड़ी में फ़र्ज़ नमाज़ के लिए वुज़ू की है, तो उसके लिए जायज़ है कि वह दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ के आने तक जितनी चाहे फ़र्ज़, सुन्नत तथा नवाफ़िल नमाज़ें पढ़े या क़ुरआन पढ़े। प्रश्न 37: क्या उसी औरत के लिए फ़ज्र के वुज़ू से चाश्त (दिन चढ़े) की नमाज़ पढ़ना सही है? उत्तर 37: यह सही नहीं है, इसलिए की चाश्त की नमाज़ का समय निर्धारित है, उसके समय के होने पर उसके लिए अलग से वुज़ू करना अनिवार्य है। क्योंकि यह मुस्तह़ाज़ा (अत्यार्तव वाली महिला) की तरह है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुस्तहाज़ा को हर वक़्त की नमाज़ के लिए वुज़ू करने का आदेश दिया है।

ज़ुह्र का समय: सूरज ढ़लने से अस्र के समय तक है।

अस्र का समय: ज़ुह्र के समय के ख़त्म होने से सूरज के पीला होने तक, या ज़रूरत पड़ने पर सूर्यास्त तक है।

मग़रिब का समय: सूर्यास्त से पश्चिम में लाली ख़त्म होने तक है।

इशा का समय: पश्चिम में लाली ख़त्म होने से आधी रात तक है।

प्रश्न 38: यदि इशा की नमाज़ के लिये किये गये वुज़ू पर आधी रात गुज़र जाये तो क्या इस महिला के लिए इशा के वुज़ू से रात की नमाज़ पढ़ना सही है? उत्तर 38: नहीं, जब आधी रात समाप्त हो जाए तो उस महिला को दोबारा से वुज़ू करना वाजिब है, और (यह भी) कहा गया है कि: वुज़ू करना ज़रूरी नहीं है, और यही सब से बेहतर राय है। प्रश्न 39: इशा की नमाज़ का अंतिम समय क्या है? और यह कैसे मालूम किया जा सकता है? उत्तर 39: इशा का अंतिम समय आधी रात है, और वह इस तरह से मालूम किया जा सकता है कि सूर्यास्त एवं फ़ज्र के प्रकट होने के बीच के समय को दो भागों में बांट दिया जाए। पहले भाग तक इशा की नमाज़ का समय समाप्त हो जाता है, और दूसरा भाग किसी चीज़ का समय नहीं होता है, बल्कि वह इशा और फ़ज्र के बीच के पुल का काम करता है। प्रश्न 40: जिस महिला को वह तरल पदार्थ रुक रुक कर आता है, तथा वुज़ू करने के बाद एवं नमाज़ शुरू करने से पहले वह दोबारा आ जाए, तो वह क्या करे? उत्तर 40: यदि वह तरल पदार्थ रुक रुक कर आता हो, तो वह उसके रुकने के समय की प्रतीक्षा करेगी। और यदि कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, कभी आता है और कभी नहीं, तो वह नमाज़ का समय शुरू होने के बाद वुज़ू करेगी और नमाज़ पढ़ लेगी, तथा उसपर कुछ नहीं है। प्रश्न 41: यदि उस तरल पदार्थ में से कुछ कपड़ा या शरीर में लग जाए तो क्या आदेश है? उत्तर 41: यदि वह पाक हो तो कुछ भी करना नहीं है, और यदि वह नापाक हो, जैसा कि मूत्राशय से निकलने वाली चीज़, तो उसका धोना अनिवार्य है। प्रश्न 42: इस तरल पदार्थ के कारण वुज़ू करने के संबंध में, क्या इससे केवल वुज़ू के अंगों को धो लेना पर्याप्त है? उत्तर 42: हां, यदि वह पाक है तो यही पर्याप्त है, और यह वह है जो गर्भ से निकले, (किंतु) यदि मूत्राशय से निकले तो उसको धोना ज़रूरी है। प्रश्न 43: क्या कारण है कि इस तरल पदार्थ से वुज़ू टूटने के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक भी हदीस वर्णित नहीं है, हालांकि सहाबी महिलाएं अपने धर्म के बारे में सवाल पूछने के लिए उत्सुक रहती थीं? उत्तर 43: इसलिए कि यह तरल पदार्थ सभी महिलाओं को नहीं आता है। प्रश्न 44: इस आदेश से अज्ञानता के कारण कुछ महिलाएं वुज़ू नहीं करती हैं, तो उनपर क्या है? उत्तर 44: उसको अल्लाह के समक्ष तौबा करना चाहिए एवं इस संबंध में जानकारों से पूछना चाहिए। प्रश्न 45: इस तरल पदार्थ से वुज़ू ज़रूरी न होने की राय को

कुछ लोग आपसे जोड़ते हैं? उत्तर 45: जो इस राय को मुझ से जोड़ता है, वह सच्चा नहीं है।ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा; यह तरल पदार्थ शुद्ध है, इससे वह समझ बैठा कि उससे वुज़ू नहीं टूटता है। प्रश्न 46: मासिक धर्म से एक दिन, या उससे कम या अधिक दिन पहले महिला को गदला रंग का ख़ून आने का क्या हुक्म है? निकलने वाली चीज़ कभी पतले धागे के आकर में , काली या भूरे रंग की धागे या इससे मिलते जुलते आकार की होती है? और यदि यही चीज़ मासिक धर्म के बाद आए, तो क्या हुक्म है? उत्तर 46: यदि यह मासिक धर्म से पेशगी आने वाली कोई चीज़ है, तो यह मासिक धर्म है, इसे उस दर्द व तकलीफ़ से जाना जा सकता है जो हायज़ा को सामान्य तौर पर होती है।

जहां तक माहवारी के बाद इस भूरे रंग के ख़ून के आने की बात है, तो वह प्रतीक्षा करेगी, यहां तक कि यह ख़त्म हो जाए, क्योंकि यदि यह हैज़ के बाद बिल्कुल साथ साथ आए तो यह हैज़ है, जैसा कि आयशा -अल्लाह उनसे राज़ी हो- ने कहा है: "जल्दी मत करो यहां तक कि सफ़ेद पदार्थ को देख लो।और अल्लाह ही बेहतर जानता है।

*

हज्ज व उमरा में मासिक धर्म के अह्काम

प्रश्न 47: हायज़ा किस तरह इहराम की दो रक्अतें पढ़ेगी? और क्या मासिक धर्म वाली महिला के लिए मन में क़ुरआन दोहराना जायज़ है या नहीं? उत्तर 47: पहली बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि इहराम के लिए कोई नमाज़ नहीं है, इसलिए कि इस संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि आपने अपनी उम्मत के लिए, इहराम बांधने के समय किसी नमाज़ को वैध किया हो, न आपके कहने या करने या सहमती के द्वारा इसका प्रमाण मिलता है। दूसरी बात यह है कि यह हायज़ा औरत जिसको इहराम बांधने से पहले हैज़ आ गया है, वह हायज़ होने की अवस्था में ही इहराम बांध सकती है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू बक्र की पत्नि असमा बिन्त उमैस -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- को आदेश दिया, जब वह ज़ुल हुलैफ़ा में निफ़ास से हो गईं, कि वह नहा लें, कसकर लंगोट बाँध लें, फिर इहराम बाँध लें। और यही आदेश हायज़ा औरत का है। वह इहराम की हालत में ही रहेगी यहाँ तक कि पवित्र हो जाए, फिर वह काबा का चक्कर लगाएगी (तवाफ़ करेगी) एवं दौड़ लगाएगी (सई करेगी)।

जहां तक इस प्रश्न की बात है कि क्या उसके लिए क़ुरआन पढ़ना जायज़ है? तो हां, ज़रूरत या मसलहत के समय माहवारी वाली महिला क़ुरआन पढ़ सकती है। मगर यदि ज़रूरत या मसलहत न हो, और वह इबादत या अल्लाह से निकट होने के लिए क़ुरआन पढ़ना चाहती हो, तो बेहतर है कि न पढ़े।

प्रश्न 48: एक महिला हज्ज की यात्रा को गई, हज्ज की यात्रा आरंभ करने के पांच दिन बाद उसे माहवारी आ गई। मीक़ात (जहां पर इहराम बांधा जाता है) पर पहुँच कर उसने स्नान किया और इहराम बाँध लिया। जब्कि अभी वह माहवारी से पाक नहीं हुई। वह मक्का पहुँचकर हरम से बाहर रही एवं हज्ज तथा उमरा के कार्यों में से कुछ भी नहीं की। दो दिन मिना में रुकी रही, फिर पाक हुई, नहाई, और इसी पाक होने की अवस्था में उमरा की सभी कार्रवाइयों को पूरा किया। फिर जब वह हज्ज के लिए "तवाफ़ -ए-इफ़ाज़ा में थी कि उसे ख़ून लौट आया। मगर उसने शर्म की (अर्थात किसी को इस के विषय में सूचित किये बिना अपना कार्य करती रही), और हज्ज को पूरा कर लिया, अपने देश में लौटने तक उसने अपने अभिभावक को भी नहीं बताया। तो अब इसका क्या हुक्म है? उत्तर 48: उस महिला का हुक्म जिसको तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा में ख़ून आ गया, यदि वह हैज़

का ख़ून है जिसको उसकी प्रकृति एवं दर्द से जाना जा सकता है, तो तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा सही नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वह मक्का लौट जाए एवं दोबारा तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा करे। अतः मीक़ात से उमरा का इहराम बाँधे, एवं तवाफ़ तथा दौड़ (सई) के द्वारा उमरा को पूरा करे, बाल छोटे करवाए, फिर तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा करे।

और यदि यह हैज़ का ख़ून नहीं है, स्वभाविक प्रसिद्ध ख़ून। बल्कि यदि यह अति भीड़, भय या इस तरह के कारणों से आ गया हो, तो उसका तवाफ़ उन लोगों के निकट सही है जो तवाफ़ के लिए पवित्रता को शर्त नहीं मानते हैं।

पहले मसला में यदि दूर दराज़ शहरों एवं देशों में रहने के कारण मक्का लौटना संभव न हो, तो उसका हज्ज सही हो जाएगा, क्योंकि वह इस से अधिक नहीं कर सकती है।

प्रश्न 49: एक औरत उमरा को गई, मक्का पहुँच कर वह हायज़ा हो गई, उसके महरम को तुरंत यात्रा करना ज़रूरी है, और उस औरत का मक्का में कोई भी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या आदेश है? उत्तर 49: यदि वह सऊदी की ही रहने वाली हो, तो अपने महरम के साथ यात्रा कर लौट जायेगी और इहराम की अवस्था में ही रहेगी, फिर जब पाक हो तो लौटेगी, क्योंकि इसका लौटना आसान है, इसमें परेशानी नहीं है और न ही इसके लिये पासपोर्ट या किसी और चीज़ की ज़रूरत है।

और यदि दूसरे देश से आई हो और (वहाँ जा कर) लौटना मुश्किल हो, तो वह पैड पहन लेगी , तवाफ़ करेगी, दौड़ लगाएगी (सई करेगी), बाल छोटे करेगी और अपनी इसी यात्रा में उमरा पूरा करेगी, क्योंकि उस समय उसका तवाफ़ ज़रूरत के कारण है, और ज़रूरत अवैध को वैध कर देती है।

प्रश्न 50: उस मुस्लिम महिला का क्या हुक्म है जो हज्ज के दिनों में हायज़ा हो गई, क्या उसका यह हज्ज काफी व पर्याप्त होगा? उत्तर 50: जब तक कि यह मालूम न हो कि वह कब हायज़ा हुई? इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। इसलिए कि हज्ज के कुछ कामों में हैज़ रुकावट नहीं है जबकि कुछ में है। जैसे कि तवाफ़ पाक होने की सूरत में ही संभव है, जबकि उसके अलावा दूसरे काम हैज़ की स्थिति में भी किए जा सकते हैं। प्रश्न 51: मैं पिछले वर्ष हज्ज को गई थी, मैं ने हज्ज के सभी कार्यों को पूरा किया सिवाय तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा एवं तवाफ़-ए-वदाअ के, क्योंकि एक शरई मजबूरी ने मुझे इन दोनों से

रोक दिया। मैं अपने घर मदीना इस नियत से लौट आई कि किसी दिन लौटकर तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा एवं तवाफ़-ए-वदाअ पूरा कर लूंगी। मुझे धर्म की जानकारी न होने के कारण मैं ने हर चीज़ को हलाल जाना और इहराम के दौरान हर हराम काम को कर डाला। मैं ने किसी से लौटकर तवाफ़ पूरा करने के बारे में पूछा तो मुझ से कहा गया कि तुम्हारे लिए तवाफ़ करना सही नहीं है। तुमने उसको बिगाड़ दिया है, तुम पर अगले वर्ष दोबारा हज्ज करना ज़रूरी है, साथ साथ एक गाय या ऊँट की कुरबानी भी ज़रूरी है। क्या यह सही है? या कोई दूसरा समाधान है? और यदि है तो क्या है? और क्या मेरा हज्ज अमान्य हो गया है? और मुझको इसे दोबारा करना ज़रूरी है? मुझको क्या करना है कृप्या उसकी ओर मेरा मार्गदर्शन करें, अल्लाह तआला आपको बरकत वाला बनाए। उत्तर 51: यह भी उन विपदाओं में से है जो अज्ञान लोगों के फ़त्वा देने के कारण उत्पन्न होती है, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको केवल मक्का जाना होगा एवं तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा करना होगा। जहां तक तवाफ़-ए-वदाअ की बात है तो यदि आप मक्का से निकलने के समय तक हायज़ा ही रहीं तो यह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हायज़ा पर तवाफ़-ए-वदाअ वाजिब नहीं है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत की बुनियाद पर कि लोगों को हुक्म दिया गया कि उनका आखरी वक्त बैतुल्लाह के पास हो (यानी तवाफ़े वदाअ करें), मगर हैज़ वाली औरतों को (यह तवाफ़) माफ है। अबू दाऊद की एक रिवायत में है: लोगों का आख़री काम अल्लाह के घर का तवाफ़ हो। और इस लिए भी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़बर दी गई कि स़फिय्या (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा कर लिया है तो आपने कहा: "तो फिर चला जाए"। यह इस बात का प्रमाण है कि तवाफ़-ए-वदाअ हायज़ा के लिए अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा की बात है, तो यह आपके लिए ज़रूरी है। और यदि आप ने अज्ञानता के कारण हर चीज़ को हलाल जाना तो यह आपके लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए कि यदि अज्ञान व्यक्ति इहराम की अवस्था में हराम कामों में से किसी काम को कर देता है, तो उसपर कुछ भी नहीं है। अल्लाह तआला के इस फ़रमान की बुनियाद पर: "हे अल्लाह, हम यदि भूल जाएं या कोई ग़लती कर दें तो उसके लिए हमें मत पकड़ना"।[सूरा अल-बक़रा: 286] अल्लाह तआला ने कहा: "मैं ने किया"। इसी तरह अल्लाह ने कहा है: "और तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है उसके लिए जो तुमसे चूक हो गई हो, मगर उस काम के लिए जो तुम्हारे दिल इरादा करें"।[सूरा अल-अहज़ाब: 5] वह सभी अवैध काम जिनसे अल्लाह ने इहराम की हालत में रहने वालों को मना किया है, यदि वह उसे न

जानने के कारण, या भूल से या किसी के द्वारा विवश करने पर कर लेता है, तो उसपर कुछ नहीं है। परनतु जब मजबूरी ख़त्म हो जाए तो उसपर वाजिब है कि उसे बिल्कुल त्याग दे। प्रश्न 52: यदि निफ़ास वाली महिला का निफ़ास तरविया के दिन (हज्ज के महीने ज़िलहिज्जा के 8वां दिन) प्रकट हो, और वह तवाफ़ एवं दौड़ (सई) के सिवा हज्ज के सभी काम कर ले, हालाँकि, उसे भान हो गया था कि वह शुरू में दस दिनों के बाद आरंभिक रूप से शुद्ध हो गई थी, तो क्या वह पाक हो कर, स्नान करेगी, और क्या वह हज्ज का बाक़ी रुक्न (स्तंभ) जोकि तवाफ़-ए-हज्ज है अदा करेगी? उत्तर 52: जब तक पवित्रता का विश्वास न हो जाए तब तक न नहायेगी और न ही तवाफ़ करेगी। प्रश्न से यह प्रकट होता है कि उसने पूर्ण पवित्रता को नहीं देखा है, जैसाकि उसने स्वयं कहा हैः (आरंभिक रूप से), इसलिए ज़रूरी है कि पूर्ण पवित्रता को देखे। जब ऐसा हो जाएगा तो नहा कर तवाफ़ एवं सई (दौड़) करेगी।

यदि तवाफ़ से पहले ही दौड़ (सई) लगा ले तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस व्यक्ति के हज्ज के बारे में सवाल किया गया जिसने तवाफ़ से पूर्व दौड़ लगाई, तो आपने कहा: "कोई बात नहीं"।

प्रश्न 53: एक औरत ने हैज़ की अवस्था में हज्ज के लिए वादी-ए-सैल से इहराम बाँधा, फिर मक्का पहुँच कर किसी ज़रूरत से जेद्दा चली गई, वहीं पाक हुई, नहायी, उसने अपने बालों में कंघा किया और फिर अपना हज्ज पूरा किया, तो क्या उसका हज्ज सही है? या उसपर कुछ है? उत्तर 53: उसका हज्ज सही है, और उसपर कुछ नहीं है। प्रश्न 54: मैं उमरा को गई और मीक़ात से इस अवस्था में गुज़री कि मैं हायज़ा थी, मैं ने इहराम नहीं बाँधा, और मक्का में ही रुकी रही यहां तक कि पाक हो गई। फिर मक्का में ही इहराम बाँधी। क्या यह जायज़ है? या क्या करूँ? या मुझ पर क्या वाजिब है? उत्तर 54: यह अमल वैध नहीं है, वह औरत जो उमरा करना चाहती है, उसके लिए मीक़ात से बिना इहराम बाँधे गुज़रना जायज़ नहीं है, यद्यपि वह हायज़ा ही क्यों न हो, वह हैज़ की स्थिति में ही इहराम बाँध लेगी एवं उसका इहराम बाँधना सही होगा। उसकी दलील: अबू बक्र की पत्नि असमा बिन्त उमैस -अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो- ने बच्चे को जन्म दिया, उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़ुल हुलैफ़ा में पड़ाव डाले हुए थे, और यह आपका आख़री हज्ज था। असमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पैग़ाम भेजा कि मैं क्या करूँ? तो आपने फ़रमाया: "नहा लो, लंगोट बाँध लो और फिर इहराम

बाँध लो"। और हैज़ निफ़ास ही की तरह है। मैं हायज़ा औरत से कहूँगा कि यदि वह उमरा या हज्ज की निय्यत से मीक़ात से गुज़रे तो वह नहा ले, कपड़े से अच्छी तरह लंगोट बाँध ले फिर इहराम बाँध ले। "इस्तिस़्फार" यह अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ है अपनी योनी को किसी कपड़े से अच्छी तरह लपेट कर बाँध लेना। फिर हज्ज या उमरा के लिए इहराम बाँध ले। मगर जब वह इहराम बाँध ले और मक्का पहुँच जाए तो पाक होने तक न अल्लाह के घर आए और न ही उसका तवाफ़ करे। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से कहा जब वह उमरा के दौरान हायज़ा हो गई थीं: "अल्लाह के घर के तवाफ़ के सिवा जो कार्य दूसरे हाजी करें, वह तुम भी करो, यहाँ तक कि पाक हो जाओ"। इसे बुख़ारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है। सहीह बुख़ारी में यह भी है कि आयशा -अल्लाह उनसे राज़ी हो- कहती हैं कि जब वह पाक हो गईं, तब उन्होंने अल्लाह के घर का तवाफ़ किया और स़फ़ा व मरवा की दौड़ लगाई (सई की)। यह प्रमाण है कि जब हायज़ा औरत हज्ज या उमरा का इहराम बाँधे, या तवाफ़ से पहले उसे हैज़ आ जाए, तो वह न तवाफ़ करेगी और न स़फ़ा व मरवा के बीच दौड़ लगाएगी, यहाँ तक कि पाक हो जाए एवं नहा ले।

यदि पाक अवस्था में तवाफ़ कर ले एवं तवाफ़ समाप्त करने के बाद हैज़ आए, तो वह जारी रखेगी, और दौड़ लगाएगी यद्यपि उसे हैज़ का खून लगा हो, तथा सर का बाल छोटा करवाएगी एवं अपने उमरा को पूरा करेगी, इसलिए कि स़फ़ा व मरवा के बीच की दौड़ के लिए पाक होना शर्त नहीं है।

प्रश्न 55: मैं और मेरी पत्नि यम्बूअ से उमरा के लिए आए, परन्तु जेद्दा पहुँचने के बाद मेरी पत्नी हायज़ा हो गई, मैं ने पत्नी के बिना अकेले उमरा पूरा किया, अब मेरी पत्नी के हवाले से क्या हुक्म है? उत्तर 55: आपकी पत्नी के हवाले से हुक्म यह है कि वह वैसी ही रहें, और जब पाक हो जाएं तो अपना उमरा पूरा करें। इसलिए कि जब सफ़िय्या - अल्लाह उनसे राज़ी हो- हायज़ा हो गईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "क्या इन्होंने हमें रोक लिया?" तो स़हाबा ने कहा: उन्होंने तो तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा कर लिया है, तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: "तो फिर वह (अर्थात; सफ़िय्या) चले "। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कहना "क्या इन्होंने हमें रोक लिया?" यह इस बात की दलील है कि यदि औरत तवाफ़ से पहले हायज़ा हो जाए तो रुक जाएगी, यहाँ तक कि पाक हो जाए, फिर तवाफ़ करेगी।

उमरा का तवाफ़ भी तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा की तरह है, क्योंकि यह उमरा का एक अंग (रुक्न) है। यदि उमरा करने वाली औरत तवाफ़ से पूर्व हायज़ा हो जाए तो पाक होने तक प्रतीक्षा करेगी, फिर तवाफ़ करेगी।

प्रश्न 56: क्या मस्आ (स़फ़ा व मरवा के बीच दौड़ लगाने की जगह) हरम में दाख़िल है? क्या हायज़ा उसके निकट जा सकती है? और जो मस्आ से हरम में प्रवेश करे, क्या उसके लिए तहिय्यतुल मस्जिद (मस्जिद में प्रवेश करने की नमाज़) पढ़ना वाजिब है? उत्तर 56: ऐसा प्रतीत होता है कि मस्आ मस्जिद में शामिल नहीं है, इसीलिए उन दोनों के बीच उनको जुदा करने वाली एक दीवार खड़ी है, किंतु यह दीवार छोटी है। निःसंदेह यह लोगों की भलाई के लिए है, इसलिए कि यदि यह मस्जिद में शामिल होता, तो वह औरत जो तवाफ़ और दौड़ के बीच में हायज़ा हो जाती तो उसके लिए दौड़ लगाना भी मना हो जाता।

मैं जो फ़तवा देता हूँ, वह यह है कि यदि औरत तवाफ़ के बाद एवं दौड़ (सई) से पहले हायज़ा हो जाए, तो वह दौड़ लगाएगी, इसलिए कि मस्आ मस्जिद का हिस्सा नहीं है।

जहाँ तक तहिय्यतुल मस्जिद की बात है, तो इसके बारे में कहा जायेगा: जब इंसान तवाफ़ के बाद सई करे, फिर मस्जिद लौटे, तो वह उसे पढ़ ले, और यदि छोड़ भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। बेहतर है कि अवसर का लाभ उठाया जाए एवं दो रक्अत नमाज़ पढ़ ली जाए, क्योंकि इस जगह नमाज़ पढ़ने का अपना ही महत्व है। प्रश्न 57: मैं हज्ज को गई, और मुझे माहवारी आ गई, मैं ने शर्म से इसे किसी को नहीं बताया, और हरम में प्रवेश किया, तवाफ़ किया एवं दौड़ भी लगाया, अब मुझपर क्या है ज्ञात रहे कि यह निफ़ास के बाद आया है? उत्तर 57: किसी हैज़ या निफ़ास वाली महिला के लिए हलाल नहीं है कि वह नमाज़ पढ़े, चाहे मक्का में हो, या अपने शहर में या किसी भी जगह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत के बारे में फ़रमाया है: "क्या ऐसा नहीं है कि जब वह हायज़ा होती है तो न नमाज़ पढ़ती है, और न रोज़ा रखती है?"। मसलमानों की इस बात पर सर्व सहमति है कि हायज़ा के लिए रोज़ा रखना या नमाज़ पढ़ना हलाल नहीं है।

यह औरत, जिसने ऐसा किया है, उसे चाहिए कि अल्लाह के यहाँ तौबा करे, और जो कुछ उस से भूल हो गई है, उसके लिए क्षमा मांगे।

हैज़ की हालत में उस महिला के द्वारा काबा का तवाफ़ करना सही नहीं है, पर सई करना सही है, क्योंकि सही राय के अनुसार हज्ज में सई को तवाफ़ से पहले करना जायज़ है। इस बुनियाद पर उसके लिए दोबारा तवाफ़ करना वाजिब है। तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा हज्ज का एक स्तंभ है, उसके बग़ैर दूसरा हलाल (अर्थात पूर्णतः ह़लाल हो जाना) पूरा नहीं होता है।

इस की बुनियाद पर उसका पति उसके साथ संभोग नहीं करेगा, -यदि वह विवाहित है- यहां तक कि तवाफ़ कर ले, या उसका विवाह नहीं किया जा सकता है -यदि वह अविवाहित है- यहां तक कि तवाफ़ कर ले।और अल्लाह ही बेहतर जानता है।

प्रश्न 58: यदि महिला अरफ़ा के दिन (हज्ज के महीने ज़िलह़िज्जा का 9वां दिन) हायज़ा हो जाए, तो क्या करे? उत्तर 58: यदि महिला अरफ़ा के दिन हायज़ा हो जाए तो वह हज्ज को जारी रखेगी, तथा वह सब कुछ करेगी जो दूसरे हाजी लोग करते हैं, मगर पाक होने तक अल्लाह के घर का तवाफ़ नहीं करेगी। प्रश्न 59: यदि महिला जमरा-ए-अक़बा को पत्थर मारने के बाद एवं तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा से पहले हायज़ा हो जाए, तथा वह और उसका पति किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और चले जाने के बाद फिर से लौटना भी संभव नहीं है, तो वह क्या करे? उत्तर 59: यदि लौटना संभव नहीं है तो वह पैड बाँध लेगी और ज़रूरत के कारण तवाफ़ करेगी, और उसपर कुछ भी नहीं है, साथ ही हज्ज की दूसरी कारवाईयों को पूरा करेगी। प्रश्न 60: यदि निफ़ास वाली महिला चालीस दिन से पूर्व पाक हो जाए, तो क्या उसका हज्ज करना सही होगा? और यदि वह पवित्रता को न देखे तो क्या करे, जबकि उसने हज्ज की नीय्यत की हुई है? उत्तर 60: यदि निफ़ास वाली महिला चालीस दिन से पूर्व पाक हो जाए, तो वह स्नान करेगी, और वह सब कुछ करेगी जो पाक महिलाएं करती हैं, यहाँ तक कि तवाफ़ भी करेगी, इसलिए कि निफ़ास की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं है। और यदि पवित्रता नहीं देखे, तो भी उसका हज्ज सही है, केवल वह पाक होने तक अल्लाह के घर का तवाफ़ नहीं करेगी। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हायज़ा को अल्लाह के घर का तवाफ़ करने से मना किया है, और इस मामला में निफ़ास हैज़ ही की तरह है।

*

विषय सूची

मासिक धर्म और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के प्रावधानों के बारे में साठ प्रश्न........................ 2

प्रस्तुति 3

नमाज़ व रोज़ा के संदर्भ में मासिक धर्म के अहकाम 4

नमाज़ में पवित्रता के अहकाम.. 19

हज्ज व उमरा में मासिक धर्म के अह्काम 23

विषय सूची 30